न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री पुखराज कांसोटिया (RAS)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 33 / 2022

प्रार्थीगण –

1. भवंरलाल पुत्र श्री मांगीलाल
2. बाबूलाल पुत्र श्री मांगीलाल

जातियान जाट निवासीगण – ग्राम बोरानाडा तहसील लूणी जिला जोधपुर ।

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. भगवानराम पुत्र श्री किरपाराम जाति जाट निवासी बेरडो की ढाणी, बावरली तहसील शेरगढ जिला जोधपुर।
2. सायरा देवी पत्नी श्री चौथाराम जाति राजपुरोहित निवासी ग्राम चावण्डा तहसील व जिला जोधपुर ।
3. चुतरसिंह पुत्र श्री बेरिसालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम देडा, तहसील ओसिया जिला जोधपुर ।
4. इन्द्रसिंह पुत्र श्री अचलसिंह जाति राजपूत निवासी निम्बो का तालाब, तहसील ओसिया जिला जोधपुर ।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना बोरानाडा
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी

उपस्थिति – 1. श्री प्रेमकुमार देवडा अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता प्रहलादसिंह
3. रेस्पोडेण्ट संख्या 1,3,4 व 5 की ओर से अनुपस्थित
4. रेस्पोडेण्ट संख्या 6 की ओर से राजकीय पेरोपकार

निर्णय दिनांकः– 23/8/2025

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा सख्या 304 रकबा 1.4702 हेक्टर वाके राजस्व ग्राम बोरानाडा तहसील लूणी जिला जोधपुर में आयी हुई स्थित है एंव इसी अप्रार्थी संख्या एक की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा सख्या 304/2 रकबा 0.1619 हेक्टेयर एंव अप्रार्थी संख्या दो की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा सख्या 304/3 रकबा 0.1619 हेक्टेयर एंव अप्रार्थी संख्या तीन की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा सख्या 304/4 रकबा 0.0231 हेक्टेयर एंव अप्रार्थी सख्या चार की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा सख्या 304/5 रकबा 0.1012 हेक्टेयर आयी हुई स्थित है जिसे आगे इस प्रार्थना पत्र में यथाआवश्यक विवादग्रस्त कृषि भूमियो के नाम से संबधोधित की जावेगी।

प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण के प्रत्येक खसरो की राजस्व नक्शे में तरमीम दर्ज हुई है इसके बावजूद अप्रार्थीगण संख्या एक से चार द्वारा जबरदस्ती प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा सख्या 304 पर जबरन कब्जा करने की नियत रखते है इस कारण से अप्रार्थीगण संख्या एक से चार द्वारा राजस्व नक्शे में दर्ज से अधिक भूमि सडक के मुख्य फन्ट पर कब्जा करने के उद्देश्य से दिनांक 1.3.2022 को मौके पर आये एंव जबरदस्ती कब्जा करने लगे तो प्रार्थीगण द्वारा विरोध किया गया जिस पर अप्रार्थीगण उस दिन तो वहा से चले गये एंव जाते जाते प्रार्थीगण को एलानिया धमकी दी कि हम लोग किसी प्रकार से नक्शे में दर्ज तरमीम को नही मानते है तथा हम लोग तो अपनी मनमर्जी से ही रोड पर लगने वाले फन्ट की भूमि को अपने कब्जे में करके रहेगे ।

यह है कि प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थीगण को विवादग्रस्त खसरान में राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति अप्रार्थीगण को आगामी आदेश तक नोटिस जारी किये । रेस्पोडेण्ट सख्या 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें उक्त प्रार्थना पत्र गलत

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

होने से अस्वीकार होना बताया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 304, 304 / 2 राजस्व रेकर्ड में दर्ज खाता अनुसार तरमीम की हुई है, उक्त तरमीम बाबत किसी पक्षकार को कोई एतराज नही है । प्रार्थीगण की यह शुरू से ही खसरा संख्या 304 की भूमि के अलावा पडौस मे खसरा संख्या 304 / 2, 304 / 3 की भूमि हडप करने की नीयत है अतः उक्त प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत किया जो खारिज किया जाये ।

इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर बताया गया कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा खसरा सख्या 304 की रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा भूमि में से रकबा 1 बीघा भूमि रजिस्टर्ड बेचाननामा गहनाराम पुत्र श्री कृपाराम जाति जाट जो बहैसियत आममुख्त्यार श्री मांगीलाल पुत्र सोनाराम जी निवासी बोरानाडा जिला जोधपुर से अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा खरीद किया गया जिसका बेचाननामा उपपंजीयक झंवर जोधपुर के कार्यालय में दिनांक 19.9. 2006 को पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 33, पृष्ठ संख्या 106, क्रम संख्या 1931 पर पंजीबद्व किया गया । जिसके आधार पर राजस्व रेकर्ड में नाम अमल दरामद किया गया एंव खसरा संख्या 304 / 3 रकबा 1.1619 हैक्टैयर के अनुसार जमाबंदी में दर्ज हुआ और राजस्व नक्शे में तरमीम भी उसी अनुसार अलग अलग खसरो की जैसे जैसे कब्जा काश्त है, वैसे दर्ज हुई और अप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा खरीद की गई भूमि पर तारीख खरीद से बेरोकटोक चला आर हा है जानबूझकर न्यायालय को गुमराह करने की नियत से आधे अधूरे तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है । जबकि मौके पर तरमीम सारे खातेदारो की अलग अलग की हुई है एंव अपने अपने हिस्से पर काबिज है, कभी भी अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने की नीयत नही रखी गयी कभी भी राजस्व नक्शे में दर्ज तरमीम से अधिक भूमि सडक के मुख्य फ्रन्ट पर कब्जा करने की नियत से नही रखी गई, कभी भी राजस्व नक्शे में दर्ज तमीम से अधिक भूमि सडक के मुख्य फ्रन्ट पर कब्जा करने के उदेश्य से दिनांक 1.3.2022 को मौके पर नही आये और न ही जबरदस्ती कब्जा किया, प्रार्थीगण ने गलत तथ्य अंकित किये है ।अपितु प्रार्थीगण की नियत में खोट आ जाने के कारण बेचाई हुई भूमि अप्रार्थी संख्या 2 को होने के बावजूद भी उसकी भूमि में कब्जे काश्त में दखल अंदाजी करने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो विशेष हर्जे के खारिज किये जाने योग्य है ।

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता व अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी जिसमें प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि ताफैसला मूल वाद तक अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जाये कि ग्राम बोरानाडा तहसील लूणी खसरा संख्या 304 रकबा 1.7702 हेक्टर भूमि व राजस्व ऑनलाईन नक्शे में तरमीम सुदा है, जोर जबरदस्ती किसी प्रकार का कोई कब्जा नही करे एंव प्रार्थीगण को बेदखल नही करे । राजस्व रेकर्ड की मौका यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक कायम की जाये ।

इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इसी हर्जे के साथ खारिज फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में किसी प्रकार का अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाकर अप्रार्थी को न्याय दिलावे ।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया । प्रार्थना पत्र गुणावगुण निर्णय इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की भूमि ग्राम बोरानाडा तहसील लूणी जिला जोधपुर खसरा संख्या 304 रकबा 1.4702 हेक्टयर कृषि भूमि तक राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक कायम रखी जाती है । अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार फरमाया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

(पुखराज कासोटिया)RAS
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी